him and his relatives will also remember that they should not indulge in such things. So with these words, I, once again, thank the hon. Minister, who has given me a very good reply. I am very much satisfied with her reply. If the hon. Minister gives me an assurance that she would do something in this regard, I will withdraw my Bill. I am not against men. Whosoever commits a crime, whether a man or a woman, he or she should be punished. Thank you very much.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Shrimati Bimba Raikar, after listening to your reply—because you are the Mover—I am sure, you are confident that whatever suggestions you have made, would be taken into consideration seriously. That is why I am asking you: Are you withdrawing your Bill?

SHRIMATI BIMBA RAIKAR: Yes, Sir. If the hon. Minister assures me, I would definitely withdraw my bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): She has already assured.

SHRIMATI BIMBA RAIKAR: Sir, I withdraw my bill.

The Bill was, by leave, withdrawn.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Now, we take up the next Bill, that is, The High Court of Gujarat (Establishment of a Permanent Bench at Surat) Bill, 2001. Shirmati Savita Sharda to move the motion of consideration of the High Court of Gujarat (Establishment of a Permanent Bench at Surat) Bill, 2001.

THE HIGH COURT OF GUJARAT (ESTABLISHMENT OF A PERMANENT BENCH AT SURAT) BILL, 2001

श्रीमती सविता शारदा (गुजरात): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं:

> "कि सूरत में गुजरात उच्च न्यायालय की स्थायी न्यायपीठ की स्थापना करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपसभाध्यक्ष महोदय, गुजरात उच्च न्यायालय की एक पीठ साउथ गुजरात के सूरत शहर में हो इस बिल पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। विभिन्न बार एसोसिएशन की ओर से पुन:-पुन: विचार किए जाने की संभावना व्यक्त की जाती रही है, लेकिन परिणाम शून्य रहा। साउथ गुजरात

की ओर से बार-बार उच्च न्यायालय की एक बैंच की मांग आप तक आ रही है उसके बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। आज पूरे गुजरात की जनसंख्या लगभग पांच करोड़ है जिसमें से साउथ गुजरात में 6 जिलों का समावेश होता है जो कि भरूच, नर्मदा, नवसारी, बलसाड़ और डांग हैं। सबसे अधिक एरिया ट्राइबल का है। पूरे गुजरात की एक तिहाई आबादी साउथ गुजरात में रहती है।

अगर हम व्यापार की दृष्टि से देखते हैं तो सूरत शहर टैक्सटाइल, हीरा एवं जरी का प्रसिद्ध केन्द्र है। इसके अलावा हजीरा में रिलायंस, ओएनजीसी, शैल, कृभको जैसी बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ वहां पर हैं। इसके अलावा शुगर मिल्स और अन्य बड़े-बड़े उद्योग भी वहां पर हैं। इस प्रकार पूरे देश से मानवश्रम वहां एकत्रित होता है जिससे वहां की प्रतिदिन की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं।

भौगोलिक कारणों के अलावा, सूरत में एक उच्च न्यायपीठ हो, इसके कुछ ऐतिहासिक कारण भी हैं। अगर हम इसकी पृष्ठभूमि में जाते हैं तो हम देखते हैं कि 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य से अलग होकर गुजरात राज्य बना। राज्य तो बना लेकिन आज भी गुजरात में बीपीएमसी एक्ट और बॉम्बे रीऑरग्नाइजेशन एक्ट ही चल रहे हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सूरत की मेयर रह चुकी हूं। वहां पर जितने भी एक्ट हैं, बीपीएमसी के एक्ट हैं। कई बार हमें लगता है कि यह एक्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि उसको भी काफी साल हो गए हैं लेकिन फिर भी मजबूरी में वही एक्ट चलाया जा रहा है। कई बार लगता है कि यह एक्ट हमारे गुजरात के लिए ठीक नहीं हैं क्योंकि वह मुम्बई का है इसलिए हमने कई बार अपने लॉ मिनिस्टर साहब से भी कहा है कि इसमें चेंजिज़ आने चाहिए। जो बॉम्बे रीऑरग्नाइजेशन एक्ट है, उसी के लिए हम यहां पर बात कर रहे हैं।

महोदय, संविधान की धारा 39 ''ए'' धारा 32 एवं धारा 226 के अन्तर्गत भारत के हर नागरिक को उचित न्याय एवं अधिकारों की बात की गयी है अर्थात् उचित न्याय मिले। यह उचित न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब आम गरीब जनता की वहां तक पहुंच हो। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् तो परिस्थितियां काफी बिगड़ी एवं बदल भी चुकी हैं और जनता को न्याय के लिए हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है।

गांवों में रहता एक गरीब व्यक्ति वकील की फीस, सैकड़ों मील का सफर एवं रोज-रोज न्यायालय के चक्कर काटते-काटते बूढ़ा हो जाता है या परलोक सिधार जाता है। इसीलिए गांधी जी ने भी कहा था कि "Law has become the luxury of the rich and joy of the gambler."

महोदय, हमारे देश में 18 उच्च न्यायालय के 14 बैंचिज़ राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। सन् 1991 में लगभग 22 लाख मामले उच्च न्यायालय में पैंडिंग थे लेकिन आज वह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है जैसाकि मैंने आपको बताया कि गुजरात की जनसंख्या पांच करोड़ है। पांच करोड़ के हिसाब से उनके मामले भी दिन-प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। गुजरात राज्य में

1998 में 1 लाख 21 हजार 532 मामले थे। उनकी संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके आंकड़े मैं बाद में आपके सामने प्रस्तुत करूंगी।

उपसभाध्यक्ष महोदय, सूरत उच्च न्यायालय की बैंच के लिए जो बिल हम लाए हैं उसके लिए जो बॉम्बे रीऑरग्नाइजेशन एक्ट 1960 का है, उसमें कुछ अमैंडमेंट्स करने होंगे। अलग-अलग राज्यों से कई बार हाई बैंच की डिमांड होती रहती है। उस समय तत्कालीन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री जसवंत सिंह जी की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया था। उस कमीशन ने हाई कोर्ट बैंच के लिए 21 मापदंड दिए थे कि अगर वे 21 मापदंड पूरे होते हैं तो हाई कोर्ट बैंच बनाई जा सकती है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण मापदंडों के बारे में मैं यहां बताना चाहती हूं। प्रथम, जहां उच्च न्यायालय बैंच की स्थापना करनी है वह स्थान केन्द्र में होना चाहिए। महोदय, सूरत शहर केन्द्र में है क्योंकि जो 6 जिले आस-पास पड़ते हैं, उनके काफी दूर-दूर होने के कारण अगर वहां से कोई व्यक्ति अहमदाबाद जाता है तो अहमदाबाद जाने के लिए उसको बहुत ज्यादा समय भी लगता है और बहुत अधिक पैसा भी खर्च करना पड़ता है जबकि सूरत शहर बिल्कुल केन्द्र में आ जाता है जो इन 6 जिलों के बीच में है। गुजरात के मध्य सभी दिशाओं से आने वाले लोगों के लिए यह स्थान उचित है-यह पहला मुद्दा था। पिछली बार श्री मेहता जी ने इसी बैंच के लिए जब कहा था तो नैनीताल का उदाहरण देते हुए मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा था और कई समस्याओं के बारे में बताया था लेकिन विस्तृत वर्णन जो उन्होंने किया था, वह एक समस्या के बारे में था कि कोई व्यक्ति अगर वहां जाता है तो वहां होटल के खर्च के साथ उसे अन्य कई खर्चों को सहना पड़ता है। लेकिन मैं यह कहना चाहती हूं कि अगर सूरत में उच्च न्यायालय की पीठ की स्थापना की जाएगी तो इस प्रकार की कठिनाइयों का सामना लिटिगेंट्स को नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वहां के वकील काफी अच्छे हैं। मैं मंत्री महोदय को यह विश्वास दिलाना चाहूंगी कि पूर्व में भी जब मुम्बई और गुजरात एक साथ थे, तब भी यहां से बहुत अच्छे-अच्छे वकील हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाते रहे हैं।

उच्च न्यायालय के मामलों के लिए वकीलों को साथ में ले जाना पड़ता है और उनके रहने के लिए और खाने के लिए खर्च करना पड़ता है जोकि एक गरीब आदमी के लिए काफी मुश्किल होता है। लेकिन सूरत के जो लिटिगेंट्स हैं, वे सबुह आकर शाम को वापस जा सकते हैं। इससे गरीब आदमी को बहुत सुविधा रहेगी और अच्छा न्याय मिल सकेगा। पिछले दस सालों में अगर हम देखें तो वहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफी हुआ है। ऐजुकेशन के क्षेत्र में, मेडिकल कॉलेज, आई॰आई॰टी॰, इंजीनियरिंग कॉलेज और डायमंड का काम वहां पर बहुत अधिक है और मुझे लगता है कि इन सबको अगर हम देखें तो पूरे गुजरात में सूरत शहर अपना एक अग्र स्थान रखता है। इसीलिए मैं कहना चाहती हूं कि सभी तरह की सुविधाएं चाहे वह यातायात की सुविधा हो, होटल की सुविधा हो या किसी भी प्रकार की सुविधा हो, लिटिगेंट्स को वे सुविधाएं वहां पर मिल सकती हैं। इसका विश्वास मैं मंत्री जी को दिलाना चाहती हूं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, राज्य की पुनर्रचना धारा 51(3) में जो सबसे बड़ी बाधा आती है, वह इस प्रकार है-

> "Notwithstanding anything contained in sub-section (1) or sub-section (2), the judges and division courts of the High Court for a new State may also sit at such other place or places in that State as Chief Justice may, with the approval of the Governor appoint."

अगर चीफ जस्टिस गवर्नर को सिफारिश करे और गवर्नर का ऐप्रूवल मिले, उसके बाद ही हाई कोर्ट बैंच की स्थापना हो सकेगी। उस समय मुम्बई हाई कोर्ट की जो नागपुर बैंच काम कर रही थी, उसमें इनकम टैक्स के मामले दर्ज किए जाते थे लेकिन वहां पर जब रूल 245 सामने आया, उस समय के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री मोहम्मद करीम छागला जी ने कुछ तथ्य सामने रखे थे। उनमें से एक यह है-

> "Legally the position is very clear under section 51 (3) of the States Reorganisation Act. The judges sitting at Nagpur constitute a part of the High court of Bombay. They are as much a part of the High Court of Bombay as if they were sitting under the same roof under which judges function in Bombay."

अगर पब्लिक को जल्दी से जल्दी न्याय मिले तो सेक्शन 51(3) रीऑर्गेनाइज़ेशन ऐक्ट पर भी विचार करना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। मुम्बई राज्य में गोवा, औरंगाबाद, नागपुर और मुम्बई, चार हाई कोर्ट हैं। मध्य प्रदेश में ग्वालियर, इन्दौर और जबलपुर में भी हाई कोर्ट हैं। जयपुर में भी और जोधपुर में भी हाई कोर्ट हैं और यह सुविधा उनको प्रोवाइड की गई है। तो मैं मंत्री जी से यह कहना चाहती हूं कि मंत्री जी, आप सहानुभूतिपूर्वक विचार करें कि सूरत के आसपास के लोगों को एक हाई कोर्ट बैंच की बहुत जरूरत है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, न्याय मंत्री ने जब अपना पदभार संभाला था तो उन्होंने उस समय लिटिगेंट्स को जल्दी से जल्दी न्याय मिले, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, फैमिली कोर्ट, स्पेशल कोर्ट और चेंज इन प्रोसीजर, लॉज़ आदि की बात कही थी। इसका मतलब यह है कि वे भी चाहते हैं कि हरेक व्यक्ति को जल्दी से जल्दी न्याय मिले। उनका पैसा भी बरबाद न हो और उन्हें उचित समय पर उचित न्याय मिले। मैं यहां पर कुछ और बातें बताना चाहती हूं जिनकी मुझे जानकारी हुई। अभी जब मैं गुजरात गई थी तो वहां हाई कोर्ट के कुछ लोगों ने मुझे जो आंकड़े दिए, वे आंकड़े मैं दे रही हूं। ये आंकड़े 1.11.2003 के हैं।

वहां हाई कोर्ट में जो टोटल नम्बर केस पेंडिंग हैं वे सिविल के 108862 है, क्रिमिनल के 21371 हैं और एक्सट्रा 6053 हैं। इसी तरह से जो अलग-अलग जिलों में केसेज पेंडिंग पड़े हुए हैं वे भी 142016, 2010 हैं और बियारा वगैरह में भी जो हैं वे 11254, 53 हैं। इस तरह से यदि मैं आपको संख्या बताऊंगी तो मुझे लगता है कि समय काफी हो जाएगा। इसके अलावा दूसरी तालिकाओं में भी कुछ और आंकड़े हैं वे भी मैं मंत्री जी को दे दूंगी। क्योंकि अगर मैं यहां पर ज्यादा आंकड़े देती हूं तो फिर समय अधिक हो जाएगा। यहां पर मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि जस्टिस नसरवां, जस्टिस घी वाला, श्री डी.ए. देसाई लोकल कोर्ट के बाद वे हाई कोर्ट के भी जज बने थे। श्री धीरूभाई देसाई सुप्रीम कोर्ट के जज थे। सूरत में श्री किरीट भाई कनिया प्रख्यात जस्टिस रह चुके हैं। अंकलेश्वर वापी में एन॰आर॰आई॰ की भी उनको काफी सहायता प्राप्त होती थी। तो मोर देन 20 अपीलेट फास्ट ट्रैक कोर्ट भी उनके लिए वहां पर काम कर रही है। तो इन सभी बातों को देखते हुए मैं यह कहना चाहूंगी और मंत्री जी से खास गुजारिश करूंगी कि सूरत में एक उच्च न्यायालय पीठ की स्थापना के लिए जरूर विचार करें। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि पिछली बार ललितभाई मेहता और राम जेठमलानी जी ने और काफी मेम्बर्स ने इस बारे में एक वक्तव्य भी दिया था कि कच्छ में राजकोट में और सूरत में एक उच्च न्यायालय पीठ होनी आवश्यक है। इसलिए मैं मंत्री जी से एक रिक्वेस्ट करती हूं और अंत में यही कहना चाहती हूं कि मंत्री जी इसके ऊपर आप सहानुभूतिपूर्वक विचार करिए और इसके अलावा सस्ते और शीघ्र न्याय के रूप में तथा जनता की सुविधा के लिए 1985 में न्यायमूर्ति पालेकर आयोग की सिफारिशों की दृष्टि से सूरत में गुजरात उच्च न्यायालय की स्थाई स्थापना की जानी आवश्यक है। इसलिए उनकी सिफारिशों को देखते हुए भी मंत्री जी अगर इसके ऊपर विचारें तो मुझे लगता है कि मैं, सूरत और साऊथ गुजरात के लोग सारी उम्र हमेशा उनका धन्यवाद करते रहेंगे।

The question was proposed.

श्री ललितभाई मेहता (गुजरात): उपसभाध्यक्ष जी, 10 अगस्त, 2000 को मेरा एक ऐसा विधेयक राजकोट में गुजरात उच्च न्यायालय की एक पीठ की स्थापना करने के लिए आया था। उस वक्त मंत्री जी ने जो बातें कहीं थीं, कर्नाटक के लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे और मंत्री जी ने यह बात बताई थी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके कारण दिक्कत बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, वह ऐसा था "The High Court is the best suited machinery to decide whether it is necessary and feasible to have a Bench outside the principal seat of that High Court. If the High Court does not favour the establishment, it is pernicious to dissect the High Court into different regions." ऐसा करके उन्होंने यह बात की थी मुझे यह लगता है कि हाई कोर्ट इसमें सहमति नहीं दे रहा है। इसका कारण पिछली बार मैंने बताया था- Benches will disturb and break-up the integrity of the court.

ऐसा करके यह बात हाई कोर्ट के द्वारा कही जा रही है जैसाकि सविता जी ने बताया कि देश में विभिन्न राज्यों में हाई कोर्ट की 14 बैंचें काम कर रही हैं। जोधपुर और जयपुर की नई बैंच बनी, उसका अनुभव क्या है? औरंगाबाद में जो नई बैंच बनी, उसका अनुभव क्या है? आप और नई बैंच बनाते जा रहे हैं। मदुरई में बैंच देने जा रहे हैं। कहीं और बैंच देने जा रहे हैं। तो हाई कोर्ट का यह मानना है यानी न्याय के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का यह मानना है कि यह जो नई बैंच आएगी इससे उनकी जो इंटिग्रेटी है, वह खत्म हो जाएगी। यह सही नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी यह माना है। कि ऐसी बातें जो आज बताई जा रही हैं, यह ठीक नहीं लगती हैं। हमारे संविधान की धारा-130 में जो बात बताई गई है, जो प्रावधान धारा-130 में किया गया है, वह बहुत ही स्पष्ट है, Article 130 of the Constitution states, "the Supreme Court shall sit in Delhi and in such other place or places as the Chief Justice of India, may, with the approval of President, from time to time, appoint." इसका अर्थ ही यही है कि संविधानकर्त्ताओं के मन में यह बात थी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की बैंचेज देश के अलग-अलग क्षेत्रों में रह सकती हैं, होनी चाहिए और इसीलिए यह धारणा आज बनाई जा रही है कि हाई कोर्ट बैंचेज स्थापित करेंगे तो इंटीग्रिटी रहेंगी नहीं, मैं ऐसा समझता हूं कि यह ठीक नहीं है।

एक दूसरी बात मैं यहां आपके सम्मुख रखना चाहूंगा कि आज पूरे देश की संसद ने यह विचार व्यक्त किया है। देश के सभी राष्ट्रीय पक्षों के प्रतिनिधि यहां पर थे। न्यायिक क्षेत्र की सभी जानी-मानी ऐसी हस्तियों ने यह बात कही थी। फिर भी अगर पार्लियामेंट की जो विश है, इच्छा है, आकांक्षा है,अगर वह हाई कोर्ट पूरा नहीं कर पाती तो हमें इस पर गंभीरता से सोचना होगा। किसी राज्य की सरकार, उस राज्य की जो अपेक्षा है, आकांक्षा है, उसे व्यक्त करती है। वैसे ही गुजरात की सरकार ने राजकोट और सूरत में हाई कोर्ट की बैंचेज बने, इसका रेजोल्यूशन यहां भेजा है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को वह रेजोल्यूशन भेजा और उसको सम्मति देने के लिए कहा लेकिन गुजरात हाई कोर्ट इसके लिए रिकमेंडेशन देने के लिए तैयार नहीं है। पूरे प्रदेश की सारी राजनीतिक पार्टियां, गुजरात में जितनी भी छोटी-मोटी राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी पार्टियां यह चाहती हैं कि गुजरात में राजकोट और सूरत में उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ बने। मंत्री जी ने अपने उत्तर में पिछली बार यह स्वीकार किया था कि राजकोट, सूरत में हाई कोर्ट की बैंच बनाने का जो केस है वह सुदृढ़ केस है, स्ट्रांग केस है। आज जब चर्चा करते हैं तो मुझे इस वक्त यह बात स्मरण आती है, जैसाकि सविता शारदा जी ने बताया कि जसवंत सिंह कमीशन ने इक्कीस मापदण्ड तय किए थे लेकिन जसवंत सिंह कमीशन ने मापदंड तय करने के बाद यह कहा था कि ये सभी मापदंड पूरे होने चाहिए, ऐसी बात नहीं है। अगर लोगों की आवश्यकता है, लोगों के मन में यह बात है और लोगों को यह लगता है कि उन्हें जल्दी से न्याय मिले, सस्ता न्याय मिले तो उसे ध्यान में रखते हुए यह बात आगे आनी चाहिए, उसे ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि विधि

मंत्री जी ने, पिछली बार उनके सामने जो मुश्किल थी, वह उन्होंने कही थी और उसका जवाब भी विधि मंत्री जी ने दिया था। उसमें इन्होंने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया था कि " The High Court would take it into consideration and appropriately recommend where Benches are required. And if such a situation does not arise, the Legislature is always there to remedy the situation which may arise out of this. Sir, as I said in the very beginning, I agree with the spirit of the legislation, namely, that we must have Benches in places outside the principal seats particularly, where they are required." यह विधि मंत्री जी का ही उत्तर है। मैं इन्हें स्मरण दिलाना चाहूंगा कि अभी भी आपके पास लेजिस्लेचर की रेमेडी है। आप आइए और मुम्बई रीऑर्गेनाइजशन एक्ट, सैक्शन 28(3) में सुधार कर लीजिए। इससे हमारी समस्या हल हो जाएगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE CHAIRMAN (SHIR SURESH PACHOURI) : Shri Suresh Bhardwaj. Please, be brief.

श्री सुरेश भारद्वाज (हिमाचल प्रदेश) : धन्यवाद उपसभाध्यक्ष जी, यहां गुजरात में सूरत उच्च न्यायालय की स्थापना करने वाला बिल, माननीय सदस्या, श्रीमती सविता शारदा जी ने रखा है। मैं इसका सैद्धांतिक रूप में समर्थन करता हूं क्योंकि यह विषय एक प्रदेश का है। किसी भी राष्ट्र में जब सरकार बनती है तो हर सरकार का कर्तव्य वहां पर सुशासन देना होता है और सुशासन के लिए यह आवश्यक है कि उसमें जो शासन व्यवस्था है वह न्यायप्रिय हो और उसकी न्याय प्रणाली आम जनता को सस्ता और सुलभ न्याय प्रदान कर सके। इस दृष्टि से स्वतंत्रता से पूर्व हिन्दुस्तान में जो मुकदमेबाजी होती थी वह तो अंग्रेजों के सामने यहां पर जितनी कर सकते थे, उतनी लोग करते थे। बाकी जो दीवानी किस्म के मामले थे, वे कुछ पैसे वाले लोग या जमींदार या राजा-महाराजा, उस वक्त अदालतों में जाते थे और लंदन में प्रिवी कौंसिल तक में उसकी सुनवाई हुआ करती थी। बहुत कम लोग फैडरल कोर्ट में जाते थे। जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारा संविधान बना तो उसमें पूरे देश भर में जो हमारे प्रदेश बने उनमें उच्च न्यायालयों की व्यवस्था की गई। विकास के साथ-साथ हमारी जनता शिक्षित भी होने लगी और उन्हें अपने अधिकारों के विषय में भी जानकारी मिलने लगी, जिसके कारण न्याय प्राप्त करने के लिए अधिक संख्या में लोग अदालतों मे जाने लगे। आज स्थिति यह है कि जैसा सविता जी ने बताया, लगभग डेढ़ लाख मुकदमें आज गुजरात हाई कोर्ट में चल रहे है और न्याय के लिए इंतजार में है। कई बार यह होता है कि जब एक बार दीवानी मुकदमा एक व्यक्ति किसी कोर्ट में दाखिल करता है तो वह आगे चलता हुआ उसके बेटे तक जाता हैं और उसके बाद पोते तक भी वह चले जा रहा है। बिहार इत्यादि बहुत सारे प्रदेशों के बारे में जब हम सुनते हैं, क्रिमिनल केसेज में भी, छोटे-छोटे ऑफेंसिज के लिए, जिनके ऊपर चॉर्ज लगाए जाते है और जिनको पकड़ा जाता है, उनको बिना अदालत में पेश किए, सालों तक जेलों या

हवालातों में रहना पड़ता है। इसलिए देश में सस्ता और सुलभ न्याय प्राप्त हो सके, इसके लिए आज जो व्यवस्था की जाती है उसमें अधिकांशत: यह होता है कि या तो कहीं थोड़े बहुत जजेज की संख्या बढ़ा दी जाती है या कानून में इस प्रकार का संशोधन कर दिया जाता है, ताकि ज्यादा संख्या में केसेज़ डिसाइड हो सके। विशेष रूप में हाई कोर्ट के विषय में यही किया जाता है कि हमको अपील का अधिकतर केवलमात्र एक ही कोर्ट तक, जिला न्यायालय तक ही मिले। हाई कोर्ट में न जाए ताकि वहां पर केसेज की संख्या कम रहे। इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है । यह दूसरी व्यवस्था जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के जजेज करते है, वे एक प्वायंट सिस्टम जजेज के लिए बना देते है कि हर सबोर्डिनेट जज को एक महीने मे इतने केसेज जरूर डिसाइड करने है, जिसके कारण दबाव में आ करके, अपने प्रोफैशनल कैरियर को देखते हुए हमारी जो सबोर्डिनेट जुडीशियरी है, वह उन केसेज को प्वायंटस के आधार पर डिसाइड करती है कि इतने प्वायंट्स अगर मिलेगे तो हमें आगे प्रोमोशेन मिलेगी या इतनी आउटस्टैंडिग या वैरी गुड रिपोर्ट हाई कोर्ट के द्वारा हमारी सीआर में दर्ज हो सकेगी। कुछ स्थानों पर हमने कानून भी बनाया है और लोक अदालतों की व्यवस्था भी की है। लेकिन फिर भी लोगों को न्याय प्राप्त करने के लिए आवश्यकता इस बात की होती है कि उनको रास्ता और सुलभ न्याय मिल सके। जैसा शारदा जी ने कहा है कि आज कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में, जब तक उसकी जेब में एक लाख रूपया न हो, तब तक वह मुकदमा करने के लिए नहीं आ सकता। आज किसी हाई कोर्ट में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना हो तो उसको जहां वकील की फीस की व्यवस्था करनी पड़ती है वहीं कोर्ट के अन्य खर्चों की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। वहां एक स्थान से उसे प्रदेश कैपिटल तक पहुचने के लिए, वहां ठहरने के लिए, अलग से पैसों की व्यवस्था करनी पड़ती है। इसी कारण से सारे देश भर में विभिन्न स्थानों पर हाई कोर्ट की अलग बैंच खुले, इसकी व्यवस्था की मांग आ रही है। बहुत सारे हमारे जजेज़ को ध्यान नहीं होता है। गुजरात के ही हमारे एक जज जब हिमाचल प्रदेश में मुख्य न्यायाधीश बन कर आए, तो वह अदालत में ...(समय की घंटी) एक मिनट, बस। मैं इंस्टांस सुना रहा हूं। अदालत में जब उनसे मांग की जाती थी कि वह बहुत कठिन स्थान है, ट्राइबल एरिया है लाहौल-स्पीति, किन्नौर का, तिब्बत के साथ लगने वाला एरिया है, यहां से वहां पहुंच नहीं सका, क्योंकि रास्ता बंद है। वह कभी भी इस बात को नहीं मानते थे और कहते थे कि ये गलतबयानी कर रहे है । एक बार वह एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से अदालत का निरीक्षण करने गए। वहां इतनी बर्फ गिरी कि उन्हें 15 दिन तक रहना पड़ा। फिर जब वापिस आए तो उन को हैलीकॉप्टर से लाना पड़ा। उस के बाद वह अदालत में होते थे तो कभी मना नहीं करते थे। महोदय, ऐसी कठिन स्थितियां देश के विभिन्न भागों में है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर हम रास्ता, सुलभ न्याय और सुशासन इस देश में देना चाहते हैं तो विभिन्न स्थानों पर इस प्रकार की हाईकोर्ट की बैंच, जहां पर कि सुविधाएं है, वहां पर अगर मिल जाएं तो मैं समझता हूं कि इस से न्याय को प्राप्त करने में सुगमता होगी।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ में इस बिल का सैद्धान्तिक रूप से समर्थन करता हूं।

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE AND THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI ARUN JAITELY): Mr. Vice-Chairman, Sir, the hon. Member has raised a very important issue. And even though the issue has been raised in the context of creation of a Bench of the High Court at Surat, the larger ramifications of this issue are of extreme importance to the Judicial system. Each State normally has one seat, as far as the High Court is concerned. For various reasons, in some of the States, particularly the larger States, more than one seat has been created. The object of creating more than one seat could be many. And, one of the obvious criteria is that where distances are very large and litigants have to travel a long distance and there are regions within a State which are identifiable a little different, then, it would be in the interest of Justice, in the interest of cheaper justice, that a Bench of the High Court can be created at a point other than where the normal seat of the High Court is located. In fact, there are some States where there are more than seat of the High Court, which has been created, and this system itself has functioned well and functioned effectively.

[THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

The Mumbai High Court, for instance, has a seat at Aurangabad. It also has a special Bench in Goa. It has a Bench at Nagpur. In Madhya Pradesh, even though the main seat is in Jabalpur, there are special Benches created for histroical reasons at Indore and Gwalior. Similarly, the principal seat of the High Court of Uttar Pradesh is in Allahabad, but it has a special Bench, which has been created in Lucknow. The Government, at present, has been functioning with, at least, two State Governments with the object of creating special Benches and separate Benches in those States. For the High Court, but a Bench is new being created and all formalities are complete and we are in the stage where infrastructure is being created for a Bench at Madurai. Similarly, in West Bengal, in a very harmonious manner, the High Court, the Bar, the State Government, the Central Government, have all agreed for the creation of the Bench of the West Bengal High Court in addition to the Calcutta High Court at Jalpaiguri itself. And, this normally helps the litigants, particularly when areas are far-flung and it helps in cutting down the cost. However, much that there may be a laudable object of creation of

these Benches, there is a particular legal procedure which has to be followed in the creation of these Benches and the Government of the day is, at present, constrained, as far as that legal procedure is concerned. For instance, in the context of Gujarat, the Government had appointed a Committee headed by a retired Judge of the Supreme Court, Justice Palekar, in 1983 to consider this whole question. Justice Palekar went into this whole question and on 23rd August, 1985, he submitted a detailed report. Now, I am just giving some of the conclusions that Justice Palekar came to in the context of Gujarat. He concluded that, "A circuit Bench may be established on the initiative of the Chief Justice subject to the Governor's approval under Section 28(3) of the Bombay Reorganisation Act, 1960. That is, if a circuit Bench, which is not a permanent Bench, is to be established, the Chief Justice of the High Court is competent with the permission of the Governor to establish that. The Central Government or no other agency comes into the picture. The Bombay Re-organisation Act, 1960, does not authorise the establishment of a permanent Bench. An amendment of the Act is necessary for such an authorisation." But, besides that he further went on to opine,"There are no historical, geographical or even sentimental reasons for establishing a permanent bench anywhere in the State of Gujarat. Political considerations for establishment of such a bench are irrelevant. If due to local pressures, one yields to such demands from one area, pressure will build up from other areas also, and, it will be difficult to resist them. In that case, the High Court will be crippled and loose its integrity and cohesion affecting irretrievably the administration of justice in the State." In any event, such an experiment should not be attempted in a new High Court, which is too young to build a strong tradition of an independent integrity, although, currently it is trying to live up to the highest standards.

Even though this recommendation was given in 1983, and, 20 years have passed since then, and, much water has flowed since then, the Government of India as such is willing to consider whatever suggestions come up before the Government of India, because it is also a fact that the population of the State is increasing, the number of cases is increasing, the number of cases pending before the various High Courts is piling up, the cost of litigation itself is increasing. Therefore, we have always been open as far as suggestion is concerned.

Even though the recommendations of Justice Palekar in July, 1991 was then accepted by the State Government, but the State Government later on in 1996 sought to took a different view, and, the Chief Minister of the State, in December, 1996, requested the Chief Justice of the High Court, as also the Chief Justice of India, to took into the issue of creation of a separate Bench in Gujarat, in particular, at places such as Rajkot and Surat. There have been also some demands, which have come from the city of Baroda for the establishment of a Bench in the city of Baroda. The Chief Justice of the High Court had intimated in May, 1998 that it was not possible for them to accept the proposal of a circuit bench or a permanent bench.

The State Government took up the issue when they wrote to me in September, 2000 that I should take up the matter again with the High Court for the creation of a separate bench. Now, in between, an important development has taken place, and, that is the development which Shri Lalitbhai Mehta has referred to. There have been demands, particularly, in two States. In the context of Western UP, though there is conflict of opinion-within Western UP also, there is a conflict of opinion whether the bench should be at Meerut or Agra-there has been a strong demand by the advocates and the litigant public of Western UP that they need a bench there because from some places of Western UP. almost 400 to 500 kilometers is the distance to either Lucknow or Allahabad.

As far as Karnataka is concerned, there is still a difference. in UP, there is still a divided opinion, within the whole State, even though there is a strong opinion in Western UP.

THE DEPUTY CHAIRMAN: What about Madhya Pradesh?

SHRI ARUN JAITLEY: Well, Madhya Pradesh is a category apart. In MP-I may be discreet and say this-when the capital was chosen as Bhopal, it seemed to be an arrangement, at that time, that the capital would be Bhopal and the seat of the High Court would be Jabalpur, and, that is how the two interests of the two different regions of the State Mahakaushal and Bhopal regions were accommodated.

Subsequently, benches were established at Indore which was a commercial centre, and also at Gwalior which was at a long distance from Jabalpur. So, MP has already three existing benches in addition to

the principal bench. And, after carving out of the State of Chattisgarh, a similar arrangement was reached that the capital of the State is Raipur, and, the bench of the High Court is at Bilaspur. Therefore, in, what was original Madhya Pradesh, you have Jabalpur..*(Interruptions..)*

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश): मैडम, माननीय मंत्री जी से एक सवाल करना चाहूंगा क्योंकि मध्यप्रदेश का आपने जिक्र किया है। मेहरबानी करके आप इजाजत दें।

उपसभापति: भोपाल में मेरा भी इंटरेस्ट था।

श्री सुरेश पचौरी: आपका सरंक्षण चाहिए, मैडम। मध्यप्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, जहां की राजधानी में हाईकोर्ट की बैंच की स्थापना नहीं हो पाई है। पहले की स्थितियां कुछ अलग थीं और अब परिस्थितियां बदली हुई हैं। अब वहां से मांग आई है कि मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टि से, मैं बहुत विस्तार से नहीं कहना चाहूंगा, हाईकोर्ट की बैंच की स्थापना की जाए, नहीं तो वैकल्पिक दृष्टि से जब तक कि हाईकोर्ट की बैंच की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तत्काल वहां सर्किल बैंच की स्थापना कर दी जाए। अगर माननीय मंत्री जी इस विषय में कुछ प्रकाश डालेंगे तो बड़ी कृपा रहेगी।

महोदया, इसी सदन में माननीय प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप से यह बात कही गई थी कि मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में हाईकोर्ट की बैंच की स्थापना करने पर विचार किया जाना संभव है। यदि इस दिशा में विचार करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। धन्यवाद।

श्री हरीश रावत (उत्तरांचल): महोदय, मैं भोपाल का समर्थन करते हुए माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसी प्रकार की प्राब्लम उत्तरांचल में भी उठ रही है और हरिद्वार का केस बहुत स्ट्रौंग है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप सर्किट बैंच की स्थापना के विषय में सोच रहे हैं तो हरिद्वार पर विचार जरूर करें।

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN (Kerala): Then, Madam, whey are you avoiding Kerala?

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am happy that there are not many Members in the House.

श्री हरीश रावत: मैडम, आपके लिए भोपाल का केस इग्नोर करना तब भी सरल है, हरिद्वार का केस इग्नार नहीं कर सकते हैं।

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, out of these issues, which have come up, there are several important question which arise, and I would iike the hon. Members to consider some of them. Sureshji said the case

of Bhopal is extremely important because Bhopal is the capital city and it is one of the few capitals. In fact, I may remind him, Thiruvananthapuram is another capital which is without a High Court. Bhubaneswar is another capital which is without a High Court, because when the States had been created, perhaps, at that time, one of the administrative planning would have been keeping various regional interests of the State in mind, that you have the capital in one State, and in some of the States, you can have the seat of the High Court in other State. Therefore, you can satisfy various interests. This is perhaps what must have happened in the context of Madhya Pradesh. In Uttaranchal, I was associated at the time of the creation of the High Court and I can say for certainty that one of the important considerations that prevailed upon all those people who were taking the decision-and this was cutting across the party lines-that when the capital of Uttranchal was being created in one city, the interest of the hill regions also was a very important consideration, and it was one of those reasons and, particularly, when we had the Old Secretariat left by the British Government for the United Province, a very beautiful building was available in Nainital. It was, therefore, decided to have the Bench of the High Court in Nainital. I have said this earlier, when the Rajkot matter came up-and, I am sure, Rawatji would appreciate what I am saying—that when I had gone for the purpose of creation of the High Court, at the time of inauguration in Nainital, there was jubilation in the city. Subsequently—and these are various considerations, I am not saying that it was a wrong decision by us-a lot of people when I went on a repeated visit, they said, "Well, Nainital has made litigation costlier for us because if a litigant is coming from different parts of the State into a hill town, it takes several hours before you reach there; When you go to Nainital, you have to stay in a hotel. And, being a hill station, the hotels are far more costly for the litigant than they would be in other parts of the State. But, these are all accommodation, because of the various considerations which had come out, which were made at that stage. Now, today, I would only urge Members that it has to be cautious of one weakness, which we all have a tendency to fall into, particularly keeping the background of whatever city we come from. The considerations are, and the considerations have to be, "How much is the distance that a litigant would have to travel from different parts of the States to reach the High Court? What are the facilities available there? What is the centre of litigation, as far as States are concerned?" These are several

considerations that have to be followed. But, at times, if we start demanding a High court in every alternative city, then, perhaps we start weakening the very cause of having Benches, because alternative thought process goes in that, well, it is on account of-and that is the comment of Justice Palekar—that I read in the context of Gujarat where he said, I will re-read it, "Political considerations for establishment of such Benches are irrelevant. You merely can't say that just because some body comes from a particular city, therefore, it is customry for him to espouse the cause of that particular city for a Bench. Therefore, what needs to be done is that this has to be considered dispassionately. And, I must say in the context of the two States where decisions have been taken to create Benches, that is, West Bengal and Tamil Nadu. The process has been discussed between the Judiciary of those States and the Members of the Bars of those States, the State Governments and all others, including politicians of those States, the State Governments and all others, including politicians of those States in a very dispassionate manner. And, we were able to take decisions without any significant controvery. In West Bengal, the only small controversy whether it should be Siliguri or Jalpaiguri which are towns in close proximity to each other. But, everybody conceded that for North Bengal people, to come down to Calcutta for a case was extremely difficult. What, unfortunately, appears to have happened is that while interpreting the States Reorganisation Act, in the context of Karnataka, and the context of Karnataka was very relevant because it was one of the States where the State Assembly had passed a unanimous Resolution for the creation of a Bench in North. So, there was unanimity in the State. All political parties were in agreement. The Bar was also in agreement because in the Bangalore lawyers would not be affected if a Bench was created in North. Those belonging to North perhaps may have shifted there. But in that case somebody moved the Supreme Court and the Supreme Court while interpreting the provisions of that Reorganisation Act gave these observations and I am reading this. This has really created a lot of difficulty for us to dispassionately consider this whole issue. "The High Court is that best suited machinery to decide whether it is necessary and feasible to have a Bench outside the principal seat of the High Court. If the High Court does not favour such an establishment, it is pernicious to dissect the High Court into two different regions on the ground of political or other considerations. So it is out of question to decide for the establishment of a Bench outside the

principal seat of a High Court, contrary to the opinion of the Chief Justice of that High Court which has been formed after considering the views of the colleague judges." Now the effect of this is that Article 130, which Shri Lalitbhai Mehta read out, in the context of Supreme Court, says that the Supreme Court will sit at New Delhi or at such places that the Supreme Court will decide. So even the constitution-framers thought that it might be possible for the Supreme Court to sit at places other than Delhi. And we in the Government strongly believe—and the Standing Committee has opined this—that there is a strong case for even having a Bench of the Supreme Court somewhere in South, and certainly, somewhere in the East because for North East people also to come down for every case, with litigation becoming so costlier, is extremely difficult. Unlike Article 130 with regard to the High Courts, we have to go to the provisions either of the Special Reorganisation Act or Section 53 of the States Reorganisation Act. Whereas under Article 130, the primary jurisdiction, on reading the Constitutional article, was of the Chief Justice and, in the context of the High Courts, it is vested in the Central Government, but by an interpretative process just as the power of judicial appointments vested in the President has not *de facto* shifted to the judicial institution, the administrative power to decide whether a Bench should exist or not, which under Section 53 of the States Reorganisation Act, vested in the Government by virtue of this observation also seems to have moved in favour of the judiciary.

SHRI LALITBHAI MEHTA: Mr. Minister, you have agreed that we have a strong case in a way, then why do not you come forward and use this forum by amending Section 28(3).

SHRI ARUN JAITLEY: Now, Madam, we have been therefore, forwarding all the requests which have been coming from different States as to the High Courts for their opinion. As I have mentioned two High Courts have expressed their opinion in the context of West Bengal and Tamil Nadu and have agreed with the object of creation of these Benches. The Government on all requests, which come to us, is in a consultative process. Now there is a judgement of the Supreme Court, which has come, we have also taken views of the Attorney General with regard to this particular judgement. I do not want to go into those details. But one fact I may point out at the cost of repetition to Shri Lalitbhai Mehta also is that even when demands are raised, at times

5.00 P.M.

we are going to weaken our case if we go in for an overkilling the matter of demanding a Bench almost in every alternative district. For instance, if you say that you need a Bench in Rajkot; you need a Bench in Surat; and you need a bench in Baroda and there is need for a Bench in all the three places in a state... (*Interruptions*)

SHRI LALITBHAI METHA: .....recommended only at two places. That you very well know. (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: He is hypothetically saying.

SHRI AURN JAITLEY: If you start saying you need in all the three cases, then perhaps for all the three places you are going to weaken your case. Therefore, in such cases the State Governments, the Members of Parliament, the Members of the Bar who demand this, will have to be very objective that in accordance with those 21 criteria which have been suggested by the Justice Jaswant Singh Committee that the demand must really come within the paramenters of that. Today, Madam, as the situation stands, we have an observation of the Supreme Court which I referred to on an earlier occasion when the Rajkot Bench question came up which stands in the way of Government taking any particular decision if any request comes. As the law stands today, the complete proposal can only come if it comes from the State Government. We send it to the High Court and the High court has to recommend that it becomes a complete proposal for the consideration of the Central Government. As such there is no complete proposal before us as far as the Bench at Surat today is concerned. I would therefore, urge the hon. Member to request the State Government to once again start working for an alternative complete proposal, move the High Court with the entire case in favour of whichever city they desire and till that happens, for this House to pass a legislation or for the Government to accept this may perhaps be a little difficult. I urge the hon. Member, in view of the fact that the Government in principle supports the idea of having Benches only at such places where it is reasonable and necessary to have Benches, to kindly consider withdrawing her Private Member's Legislation.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Thank You. I am happy that you have mentioned Bhopal, because I had taken up this matter with you once.

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, whenever I go to Bhopal, the Bar there and the citizens there very strongly feel about a Bench in Bhopal.

श्रीमती सविता शारदा: धन्यवाद उपसभापति महोदया, मैं ललितभाई जी और सुरेश जी का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और कई मुद्दे मंत्री जी को बताए कि क्यों वहां उच्च न्यायालय होना चाहिए। मंत्री जी ने हमें बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि यह-यह तथ्य हैं जिसके कारण उच्च न्यायालय सभी जगह स्थापित नहीं किए जा सकते। लेकिन मैं मंत्री महोदय से एक बात कहना चाहती हूं कि जब यह न्यायालय स्थापित किए गए थे तब जनसंख्या बहुत कम होती थी और मामले भी इतने नहीं होते थे। अब चूंकि जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, पापुलेशन जैसे-जैसे बढ़ेगी क्राइम भी बढ़ते जा रहे हैं। अभी मैंने उनको एक डेटा दिया है। अगर उस डेटा को हम देखते हैं तो उच्च न्यायालय के सभी केसेज को खत्म करते-करते शायद सालों लग जाएंगे। तो मुझे लगता है कि यह जो मांग मध्य प्रदेश या भोपाल से भी उठ रही है आप लॉ मिनिस्टर हैं, आप सरकार में हैं और कुछ अमेंडमेंट इसमें लाकर अभी पीछे से गुजरात के एम.पी. भी हैं आवाज आ रही है तो थोड़ा सा आपको नरम होना चाहिए। लेकिन मैं यह बात नहीं कहना चाहती। मैं यह चाहती हूं कि एज ए लॉ मिनिस्टर जितने जो अमेंडमेंट उन्होंने किए हैं हमारे जस्टिस ने अभी जो आपने समझाया भी है उसी के कारण मैं यह कहती हूं कि अगर क्राइम रेट बढ़ गया है और उच्च न्यायालय की जरूरत पड़ती जा रही है। जैसे अलग-अलग राज्यों में दो-दो व तीन-तीन कोर्ट भी हैं और चेन्नई वगैरह में भी आप बतला रहे हैं, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि यह जो राजकोट, बड़ौदा और सूरत में आपने जो बताया है, तो मैं कहती हूं कि आपने जो भी नैनीताल वगैरह के उदाहरण दिए हैं, इसलिए मैंने अपने वक्तव्य में ये सारी बातें क्लियर कर दी थी कि जिन मानदंडों को आपने कहा है वे सभी मानदंड सूरत शहर में हैं, क्योंकि जो लिटिगेंट्स हैं वे कहीं से भी आ सकते हैं। सूरत शहर बीच में है और पिछले 10 सालों में वहां पर मुझे लगता है कि पूरे विश्व में इसने अपना एक स्थान बना लिया है क्योंकि वहां जरी का, डायमंड का, टैक्सटाइल्स का इतना बड़ा गढ़ होने के कारण मानव श्रम जैसे-जैसे वहां आ रहा है। पहले वहां पर 15-20 लाख लोग थे अभी सूरत शहर में लगभग 45 लाख लोग हैं और इसके अलावा आसपास के स्थानों के लोगों को हम देखते हैं तो काफी लोग वहां पर हो गए हैं। हमारी सरकार की तरफ से भी हम यह कहना चाहेंगे कि सूरत शहर एक आदर्श शहर है और जैसे वापी वगैरह भी आसपास पड़ता है और इसके नजदीक जो लोग रहते हैं उनको यह एक सेंटर पोइंट पड़ेगा। मंत्री जी ने जो मापदंड बताया है मुझे लगता है उसमें वह बहुत उचित रहेगा। फिर से मैं अपने सूरत शहर की जनता की तरफ से आपको कर बद्ध विनयपूर्वक कहना चाहती हूं कि सूरत शहर में उच्च न्यायालय की पीठ हो जाए तो बहुत अच्छा है। जैसे सुरेश पचौरी जी ने कहा है कि वहां उच्च न्यायालय नहीं तो फिर एक सर्किट बैंच हो जाए ताकि वहां के लोगों को काफी सुविधा रहे और आसपास की जनता जो गरीब है,

ट्राइब्नल है उनको आने-जाने में उनको न्याय मिलने में काफी सुविधा होगी।

उपसभापति: उन्होंने कहा कि यह स्टेट गवर्नमेंट मूव करे। तो फिर स्टेट से कहो।

श्रीमती सविता शारदा: सम्भवत: 1986 में ये सिफारिशें हुई थीं और अब समय काफी बदल गया है ...(व्यवधान)

उपसभापति: रिवाइव करा दीजिए।

श्रीमती सविता शारदा: अगर उन सिफारिशों में कुछ अमेंडमेंट वगैरह लाने हों तो मंत्री जी उसमें लाएंगे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा। मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि बार-बार कहने से कभी-कभी काम हो भी जाता है, तो मैं फिर से निवेदन करना चाहूंगी कि मुम्बई शहर का जो रिआर्गनाइजेशन एक्ट है उसमें कुछ तबदीली करके और 51-53 में कुछ संशोधन करके अगर इसमें आप कुछ कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने जो अपना बिल यहां पर रखा था उसको मैं वापिस लेती हूं।

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

Has, the hon. Member, Shrimati Savita Sharda, the leave of the House to withdraw the Bill?

The Bill was, by leave, withdrawn.

THE DEPUTY CHAIRMAN: For others, the time is over. Hon. Members, I have to make an announcement.

RECOMMENDATIONS OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have to inform the House that the Business Advisory Committee at its meeting held today, the 19th December, 2003, allocated time as follows for Government legislative and other Business:

BUSINESS	TIME ALLOCATED
1. Consideration and passing of the following Bills, after they have been passed by Lok Sabha:	
(a) The Uttar Pradesh Reorganisation (Amendment) Bill, 2003.	Half-an-hour